



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 3013 वर्ष 2026

श्रीमती कमलेश देवी और 2 अन्य
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : श्रीप्रकाश श्रीवास्तव
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : सीएससी, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ कुशीनगर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 29.04.2023 को पारित विवादित आदेश (केस संख्या 1880) को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए यह रिट याचिका दायर की है। 2022 (कंप्यूटर केस संख्या T2022054400018880) (बसदेव बनाम ग्राम सभा) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(5) के तहत और दिनांक 30.04.2022 को प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील तमकुहिराज, कुशीनगर द्वारा केस संख्या 06852/2020 (कंप्यूटर केस संख्या T202005440306852) (ग्राम सभा बनाम बसदेव) में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत पारित आदेश।
2. अन्य कई तर्कों के अलावा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क उठाया गया है कि उपर्युक्त आदेश ऋषिपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य जो **2023 (1) ए.डी.जे. 154** में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में पैरा-74 में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किए गए थे, इसलिए इन्हें रद्द किया जाना चाहिए।
3. प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है।
4. इसी के मद्देनजर, चूंकि प्रतिवादी संख्या 2/जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा दिनांक 29.04.2023 को पारित आदेश और प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील तमकुहिराज, कुशीनगर द्वारा दिनांक 30.04.2022 को पारित आदेश ऋषिपाल (उपरोक्त) मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः उल्लंघन करते हुए पारित किए गए थे, इसलिए इन्हें रद्द किया जाना चाहिए और एतद्वारा रद्द किया जाता है।
5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील तमकुहिराज, कुशीनगर को निर्देश दिया जाता है कि वे कानून के अनुसार शीघ्र ही नया आदेश पारित करें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

12 फरवरी, 2026

सकलैन

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"